संख्या-142/2019/208 सी0एम0/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 12 जून 2019

विषय: **प्रदेश के मझवार जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-14/2017/33रिट/26-3-2017-3(15) /2007 दिनांक 27.01.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2129/2017 डा0 बी0आर0 अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 24.01.2017 को पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-229/2016/436मंत्री/26-3-2016-3(1)/ 2016 टी0सी0, दिनांक 21.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-234/2016/297सी0एम0/26-3-2016-3(15)/ 2007, दिनांक 22.12.2016 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था।

2- प्रश्नगत जनहित रिट याचिका संख्या-2129/2017 में दिनांक 29.03.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) को सुनवाई उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं:-

> **Respondents are directed to file counter affidavits within eight weeks from today. Liberty to the peritioner to apply to hearing of the petition immediately thereafter.**
> **Applications for intervention to be heard as and when hearing of the writ petition takes place. It is open for all intervenors to file conuter affidavits, if they so desire and are advised, before the next date. In the event, any caste certificates are issued pursuant to the order impugned, those certificates shall be subject to the outcome of the writ petition.**
> **It is open to the petitioner to add all such persons as party respondents, in whose favour caste certificates have been issued.**

3- भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-53 पर मझवार जाति सूचीबद्ध है। इस प्रकार मझवार जाति सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29.03.2017 तथा भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के आलोक में भली-भांति परीक्षण/जांच पड़ताल कर सुसंगत अभिलेखों के आधार पर प्रदेश के मझवार जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-142/2019/208 सी0एम0/26-3-2019 तदनिंक

प्रतिलिपि- निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 2129 of 2017

Petitioner :- Dr. B.R. Ambedker Granthalaya Evm Jan Kalyan
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Rakesh Kumar Gupta,Anil Kumar Prajapati
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Antriksh Verma,Bibhuti Narayan Singh,Brahm Deo Dwivedi,J.S. Kashyap,Kanhaiyalal Bind,Manoj Kumar,Mohd. Aslam Khan,Naresh Chandra Nishad,P.K. Sinha,Ram Raj Prajapati,Sunil Kumar Tiwari,Vashishtha Tiwari

Hon'ble Dilip B. Bhosale,Chief Justice
Hon'ble Yashwant Varma,J.

Heard Mr. Rakesh Kumar Gupta, learned counsel for the petitioner.

Admit.

Respondents are directed to file counter affidavits within eight weeks from today. Liberty to the petitioner to apply for hearing of the petition immediately thereafter.

Applications for intervention to be heard as and when hearing of the writ petition takes place. It is open for all intervenors to file counter affidavits, if they so desire and are advised, before the next date. In the event, any caste certificates are issued pursuant to the order impugned, those certificates shall be subject to the outcome of the writ petition.

It is open to the petitioner to add all such persons as party respondents, in whose favour caste certificates have been issued.

Order Date :- 29.3.2017
VMA

(Yashwant Varma, J) (Dilip B Bhosale, CJ)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।